न्यायालय–अवर न्यायाधीश प्रथम, डुमरॉव

स्वत्व वाद सं0 323 / 2020

सीताराम हजाम .....वादी।

बनाम्

दीनानाथ हजाम वगै0..... .....प्रतिवादीगण।

आदेश

12.04.2023

उभय पक्षों की पैरवी है। अभिलेख आज आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया। वादी द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक– 12.10.2022 अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 दफा 151 सी0 पी0 सी0 में वादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि लिपिकीय भूल एवं टाइपिस्ट की गलती अर्जीदावी के जमीमा नं0 1 में प्लाट का विवरण गलत दर्ज हो गया है जिसमें सुधार करना आवश्यक है तथा अनुरोध करते हैं कि अर्जीदावी में मरम्मत करने का आदेश दिया जाये।

प्रतिवादी द्वारा दिनांक– 23.12.2022 को दाखिल प्रतिउत्तर में प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता का यह कथन है कि वादी का आवेदन कानून की दृष्टि से पोषणीय नहीं है तथा वादी सही तथ्य को छिपाकर गलत तथ्य के आधार पर दाखिल किया है। तथा अनुरोध करते हैं कि अर्जी मरम्मत के आवेदन को खर्चा के साथ खारिज किया जाये।

उभय पक्षों को पूर्व में सुना जा चुका है। यह वाद वादी द्वारा उसके सवत्व की घोषणा हेतु लाया गया है। इसमें एक प्लाट नम्बर में परिवर्तन का आवेदन है जिससे वाद की प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अतः न्यायहित में वादी आवेदन दिनांक– 12.10.2022 अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 दफा 151 सी0 पी0 सी0 को स्वीकृत किया जाता है तथा वादी के विद्वान अधिवक्ता को निर्देश दिया जाता है कि आवेदन के आलोक में अर्जी में संशोधन करें।

दिनांक– 03.05.2023 वास्ते सुनवाई।

लेखापित

(अखिलेश कुमार पाण्डेय)
सब जज प्रथम, डुमरॉव ।